सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—–जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

ए0 यू0 स्मॉल फाईनेंस बैंक लि0 **बनाम** **राजेश कुमार सैनी आदि**

किस्म मुकदमा– प्रा0 पत्र रिव्यू नम्बर——146/2018——सन्– 2018

| | |
|---|---|
| 23.07.18 | अधिवक्ता प्रार्थी श्री हुकुम सिंह अवाना उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उनवानी प्रार्थना पत्र रिव्यू इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 06.06.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन का निस्तारण करते हुए बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश पारित कर दिये गये। जो कि एरर अपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकॉर्ड होने के फलस्वरुप रिव्यु किये जाने योग्य है। अपनी बहस रखते हुए यह भी निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया व बिना सुने पीछे से आदेश पारित कर दिया गया जबकि न्याय का यह सामान्य सिद्धांत है कि पक्षकार को पूर्ण सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर ही आदेश पारित करना चाहिए। माननीय न्यायालय को रिव्यू करने का पूर्ण अधिकार है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 रिव्यू करते हुए अप्रार्थीगण को उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का मैरिट्स पर निस्तारण फरमाने की कृपा करें।<br><br>अप्रार्थी (रिव्यूकर्ता) द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रा0 पत्र का अवलोकन किया गया व रिव्यूकर्ता की बहस पर मनन किया गया। बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत दिनांक 09.04.18 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिसके समर्थन में अप्रार्थी की ओर से श्री हुकुम सिंह अवाना एडवोकेट द्वारा दिनांक 23.05.18 को वकलातनामा पेश किया गया। प्रार्थी को समुचित अवसर दिया जाने के बाद ही दिनाक 06.06.2018 को प्रकरण का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया गया है। इसलिए यह तो प्रार्थी का कथन बिल्कुल गलत है कि उनको सुनवाई/सबूत का अवसर नहीं दिया गया। जहाँ तक उनको सुनवाई का सवाल है, वे स्वयं निर्धारित दिनांक को उपस्थित ही नहीं हुए और न्यायालय पर सुनवाई नहीं करने का गलत तर्क दे रहे है। इस न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत दी गई शक्तियों के संदर्भ में सुना जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया गया है। इसलिए रिव्यूकर्ता के उक्त प्रा0 पत्र पर अब अलग से कोई सुनवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से प्रा0 पत्र रिव्यू खारिज योग्य है।<br><br>उपरोक्ता विवेचन के आधार पर प्रार्थी रिव्यूकर्ता राजेश कुमार सैनी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना दर्ज रजिस्टर हो व बाद तामिल व तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।<br><br>(नरेश कुमार शर्मा)<br>जिला कलक्टर<br>दौसा<br>जिला कलक्टर,दौसा |